संख्या 1308 /XXX(2)/2013

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 23 दिसम्बर, 2013

विषयः–राज्याधीन सरकारी/अर्द्धसरकारी तथा शिक्षण संस्थाओं में सेवायोजन में विशिष्ट खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 2461/XXX(2)/2006 दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 द्वारा राज्य सरकार के अधीन सरकारी/अर्द्धसरकारी तथा शिक्षण संस्थाओं में सेवायोजन में विशिष्ट खिलाड़ियों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर स्पेशल अपील सं0 162/2013 राज्य सरकार बनाम विक्रान्त मिश्रा व अन्य में दिनांक 14.08.2013 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:

"Therefore, in respect of each and every office under the State, there shall be equality of opportunity for all citizens. That suggests that, in the matter of public appointments, everybody has right of equal opportunity of being considered for appointment. But for Sub-Article (4 of Article 16, no reservation could be made for backward class citizens. But for Sub-Article (4A) of Article 16, no reservation could be made for scheduled castes and scheduled tribes. In other words, if a class does not come within the exceptions, as provided in Sub-Articles (4), (4A) and (4B) of Article 16 of the Constitution of India, the State is bereft of any power to provide for any reservation for any person in any employment available with the State. Therefore, the Government Order dated 6th October, 2006, i.e. the foundation of the right of the respondents/writ petitioners, being non est, as the same is contrary to the expressed provisions of Article 16 of the Constitution of India; no right flows therefrom and, accordingly, on the basis of the said Government Order dated 6th October, 2006, respondents/writ petitioners could not ask the writ court to issue a mandamus directing them to be appointed in ilegally created reservation for sports people.

We, accordingly, allow the appeal and set aside the judgment and the order under appeal and, at the same time, dismiss the writ petition."

क्रमशः.....2

कृपया राज्याधीन सेवाओं में कुशल खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या/1308 (1)/ XXX(2)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
2. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की, हरिद्वार।
3. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को विभिन्न समाचार पत्रों के प्रकाशनार्थ।
5. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को वैबसाइड में रखने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।